



## को वड-19 सुरक्षा जाल के रूप में मनरेगा की भूमिका

विकास यादव

समाज शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्व विद्यालय, वाराणसी, भारत  
vikasyadava001@gmail.com

Available online at: [www.isca.in](http://www.isca.in), [www.isca.me](http://www.isca.me)

Received 29<sup>th</sup> July 2023, revised 1<sup>st</sup> October 2023, accepted 11<sup>th</sup> December 2023

### सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme - MGNREGA) ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा एवं स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यह एक मूल्यवान रोजगार उपकरण और सुरक्षा जाल रहा है, जिसकी पुष्टि को वड महामारी के दौरान उभरे प्रवासी संकट के समय भी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिये एक लये के करने आकलन का प्रभावकारिता की कार्यक्रम इस में रूप के साधन उन्मूलन गरीबी से रूप विशेष, वाल अध्यात्मता की सन्हा अमरजीत स चव विकास ग्रामीण पूर्व है। क्या गठन का स मतिी इस स मति की पहली बैठक नवंबर गया दिया समय का माह तीन लये के देने सुझाव अपने इसे और थी हुई आयोजित में 2022था। इस आलेख में अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमकों की भूमिका, प्रवासी संकट व रोजगार वहीनता से निपटने में मनरेगा की भूमिका, उत्पन्न चुनौतियाँ तथा उनसे निपटने में अल्पकालक व दीर्घकालक उपायों पर चर्चा की जाएगी।

### मुख्य शब्द:

### प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। चर्चा का पहला कारण यह है कि हाल ही में प्रस्तुत किये गए केंद्रीय बजट 2023- करोड़ हजार 60 लये के मनरेगा ने सरकार केंद्र में 24 89 गये कये आवंटित वर्ष वगत क जो हैं कये आवंटित रूप है। कम काफी से रूपों करोड़ 400 हजार<sup>1</sup> कई वर्षों से इस योजना के लये आवंटित कये जा रहे बजट में लगातार कटौती की जा रही है जिसका वरोध हो रहा है, जबकि इसके लाभों से हम सभी कोरोना काल में अवगत हैं।

इस योजना के चर्चा में आने का दूसरा कारण काम कर रहे श्रमकों की ऑनलाइन हाजिरी से संबंधित है। इसमें नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (NMMS) बार दो में दिन से ऐप (श्रमकों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का प्रावधान किया गया

है। यह प्रक्रिया जियो टैगिंग के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा ही की जा सकती है।<sup>2</sup> माना जा रहा है कि इससे इस योजना में पारदर्शिता आएगी और मशीनों का उपयोग बंद होकर वास्तविक लोगों को ही रोजगार मिलेगा। हालाँकि इस व्यवस्था के वरोधों का तर्क यह है कि गाँवों में बेहद कमजोर मोबाइल नेटवर्क से त्रिके इस कारण के अभाव के नेटवर्क / वापस इसे अंत हैं आती समस्याएँ बहुत में लगाने हाजिरी चाहिये। जाना लया

मनरेगा योजना की उच्च मांगों के बावजूद (जैसा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में भी प्रकट हुआ) वत्त वर्ष 2022-23 के बजट में मनरेगा के लये आवंटन निराशाजनक रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा और मनरेगा संघर्ष मोर्चा (NSM) जैसे संगठनों ने मनरेगा के लये आवंटन की अपर्याप्तता को लेकर चिंता जताई है।

मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य कसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में के दिनों 100 2022 है। वर्ष देना गारंटी की रोजगार- के मनरेगा तक 23 तहत 15. श्रमिक स क्रय करोड़ 4 रहे हैं।

## मनरेगा क्या है?

मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसे भारत सरकार द्वारा लागू में 2005 ) नरेगा नाम इसका तब तथा था गया कया NREGA 2010 था। ( ) मनरेगा बदलकर नाम इसका में MNRREGA था। गया दिया कर ( क था यह उद्देश्य का करने लागू को योजना इसि ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सदस्यों को वर्ष में रोजगार गारंटीयुक्त का दिन 100 हों। इच्छुक के करने श्रम अकुशल जो सके जा करवाया उपलब्ध

ऐसे क्षेत्र जो सूखाग्रस्त हैं अथवा जहाँ जनजातीय आबादी अधिक है वहाँ है। गया कया प्रबंध का रोजगार के दिनों 150 का को मनरेगानूनी स्तर पर रोजगार की गारंटी देने वाला वश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम भी माना जाता है।

## मनरेगा की रूपरेखा

कार्य का कानूनी अधिकार : i. पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के वपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार ढाँचे आधारित-निर्धनता चरम से माध्यम के कारणों का समाधान करना है। ii. लाभार्थियों में कम होनी महिलाएँ तिहाई-एक कम-से- iii चाहिये। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृष मजदूरों के लये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप कया जाना चाहिये।

मांगयोज प्रेरित-ना: मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है क इसके तहत कसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के से रूप कानूनी की पाने काम भीतर के दिनों 15

उसे पर होने वफल जिसमें , है प्राप्त गारंटी समर्थत है। जाता कया प्रदान ' भत्ता बेरोजगारी'

अधिनियम में आरंभ कये जाने वाले कार्यों की सफारिश करने का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा गया है और इन कार्यों को कम 50 कम-से-% उनके द्वारा ही निष्पादित कया जाता है।

समयबद्ध गारंटी: i. काम के लए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ii. यदि 15 दिवस के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दैनिक बेरोजगारी भत्ता का नकद भुगतान करना होगा, बेरोजगारी भत्ता के भुगतान का दायित्व राज्यों का होगा।

वकेंद्रीकृत योजना: i. परिवार को पंजीकरण के लए स्थानीय ग्राम पंचायत में लखत या मौखिक रूप से आवेदन करना होगा। ii. सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड पर नरेगा के तहत काम करने के इच्छुक परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की तस्वीर होगी। iii. निष्पादन के लए कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों को आवंटित कया जाना है।


महिला सशक्तिकरण: i. जिन लोगों को काम आवंटित कया गया है उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए। ii. वित्तीय वर्ष 2008-09 में महिलाओं की भागीदारी 48% थी। iii. 2008 में तमिलनाडु (80%) और केरल (84%) में सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई थी।<sup>3</sup>

अनुमेय कार्य: जल संरक्षण और जल संचयन (30%), सूखा प्रूफंग (25%), बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य (18%), भूम विकास (15%), ग्रामीण संपर्क (12%)

ग्रामीण आजी वका के समर्थन में को वड-19 महामारी के दौरान मनरेगा की भूमिका

को वड-19 महामारी 2019 के दौरान शुरू हुई और 2020 के प्रारंभिक वर्ष में गंभीर हो गई। सरकार ने मार्च 2020 के दौरान पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। यह एक दुःस्वप्न है जहां लोगों का रिवर्स पलायन शुरू हुआ और शहरी, शहरों से अपने गांवों की ओर वापस चल दिए।<sup>4</sup> अस्तित्व की स्थिति के साथ, अधिक संख्या में लोगों ने अपना जीवन और रोजी-रोटी चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी के लिए मनरेगा योजना में काम करना शुरू किया। शहरी क्षेत्रों से वापस ग्रामीण क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन के


कारण मनरेगा में काम की मांग बढ़ी। इस तथ्य पर वचार करते हुए घोषणा की बजट उच्च लेने के योजना ने सरकार, लाख एक में 2021 और करोड़ 71000 लगभग में 2020 जो की (रेखा चित्र) क जैसा है गया पहुंच तक करोड़ 1 गया दिखाया में ( है।<sup>5</sup> लोगों को आसानी से काम मले और समय पर वेतन मले ने सरकार से दृष्टि इस, बजट बढ़ाया।




रेखा चित्र-1: महामारी वर्ष के दौरान मनरेगा के लिए सरकार द्वारा बजट आवंटन

वर्ष 2020 के दौरान कार्यों की संख्या में भी वृद्ध हुई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उच्च श्रम बल का प्रमाण है। जैसा क (रेखा चित्र-2) में दिखाया गया है, पछले वर्षों की तुलना में कार्यों की संख्या 202 लाख तक बढ़ा दी गई।<sup>6</sup> पूर्व-को वड की तुलना में मजदूरी रोजगार के परिवारों वाले करने पूरे दिन 100 संख्या कुल की में भारी वृद्ध हुई है जिनकी संख्या 68, 81, 176 व्यक्ति हैं। महामारी के दौरान वतरित कुल मजदूरी जो अंततः मनरेगा कार्यक्रम पर ग्रामीण आजीवका निर्भरता के बारे में बताती है (रेखा चित्र-3)। वर्ष 2017 में मजदूरी में 160 से बढ़कर वर्ष 2020 में 205 हो गई, जिससे रुपये के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है और आने वाले दिनों में बढ़कर 260 रुपये हो सकता है (रेखा चित्र-4)।


महामारी को वड 19 के दौरान मनरेगा में लगे श्रमकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां मनरेगा की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है, जो को वड-19 के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, यह ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमकों को काम पर रखने के लिए अनुबंध की शर्तों को स्थापित करने के लिए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करता है।<sup>7</sup> यह श्रमकों के लिए तापमान की जांच, मास्क, हाथ धोने की सुवधा, न्यूनतम दूरी, उचित जलयोजन सुनिश्चित करने आदि मनरेगा जैसी सुरक्षित स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है। इसका मजदूरी दरों और काम की परिस्थितियों पर महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण होता है।



रेखा चत्र2-: मनरेगा से पहले और बाद में कए गए कार्य



रेखा चत्र-3: महामारी के दौरान वतरित कुल मजदूरी



रेखा चित्र-4 प्रति दौरान के महामारी :दिन मजदूरी दर गई हो रुपये 205 बढ़कर से रुपये 180

सरकार बढ़ी हुई मजदूरी के साथ काम को दिन 100 में दिशा की करने दिन 200 बढ़ाकर से

जैसा क अनुमान है क लाखों श्रमक रोजगार के लए मनरेगा पर निर्भर हैंउस , से सरकार ने कार्य दिवसों को या 150 से 100 था। दिया कर शुरू सोचना में बारे के बढ़ाने तक दिनों 200 50, रोजगार कल्याण गरीब साथ के आवंटन के करोड़ 000 प्रवासी लौटे घर दौरान के तालाबंदी उद्देश्य जिसका , अभयान है। करना प्रदान रोजगार को मजदूरी<sup>8</sup> इस योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश ओ इशा और झारखंड , राजस्थान , प्रदेश मध्य , के नौकरियों की प्रकार 25 इसमें हैं। शा मल राज्य छह जैसे है प्रावधान का देने रोजगार का दिनों 125 को प्रवासियों साथ , वृक्षारोपण , बागवानी , आवास ग्रामीण , निर्माण सड़क जिसमें , आंगनवाड़ी , संचाई और संरक्षण जल पंचायत भवन और जल जीवन मशन जैसे कार्य शा मल हैं।

ग्रामीण भारत के विकास में मनरेगा की भूमिका: i. वर्ष 2005 में इस योजना के लागू होने के बाद से ही इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ मजदूरों के अधिकारों की जागरूकता, कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्ध आदि के द्वारा ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। ii. इस योजना के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, 15 दिनों के भीतर रोजगार न मलने की स्थिति में आवेदक को भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। iii. इस योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने वालों में एक-तिहाई (1/3) महिलाओं का होना अनिवार्य

है, अतः इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के माध्यम से समाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायता मली है। iv. इस योजना के तहत आवेदक को स्थनीय स्तर (5 कमी. की सीमा में) पर रोजगार उपलब्ध करा कर ऐसे बहुत से लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में सहायता मली है जिनके लये कन्हीं कारणों से रोजगार हेतु शहरों में पलायन करना संभव नहीं था। ग्रामीण स्तर पर आधारित संरचना के विकास में भी इस योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

ग्रामीण रोजगार पर को वड-19 का प्रभाव: i. देश में को वड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लये लागू लॉकडाउन के तहत अन्य उद्योगों/व्यवसायों से अलग मनरेगा के लये कोई विशेष छूट प्रदान नहीं की गई थी। हालाँक राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) को बनाए रखते हुए योजना को चालू रखने के निर्देश दिये गए थे।<sup>9</sup> ii. वर्तमान में मनरेगा के तहत देश के व भन्न राज्यों में प्रतिदिन की मजदूरी औसतन 209 रुपए और वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के साथ यह योजना गरीबी में रह रही एक बड़ी आबादी के लये आजी वका का मुख्य साधन तथा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ (Backbone) मानी जाती है। iii. वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत 7.6 करोड़ परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान कया गया है और वर्ष 2020-21 में लगभग 5.5 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया था।<sup>10</sup> iv. लॉकडाउन के कारण मंडियों के बंद होने और कृषि उपज की आपूर्ति बाधत होने का प्रभाव इससे जुड़े रोजगारों पर भी पड़ा

है। v. को वड -19 के कारण उद्योगों के बंद होने से बड़ी संख्या में भारत के व भन्न शहरों से गाँवों की तरफ मजदूरों का पलायन हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और कामगारों की अधिकता तथा प्रतिस्पर्धा के कारण ग्रामीण असंगठित क्षेत्र (दिहाड़ी, कृष मजदूर आदि) की मजदूरी में कमी आई है। vi. शहरों से होने वाले पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की वृद्ध के बीच मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत रोजगार की कमी होना एक बड़ी चंता का वषय है। vii. मार्च 2020 में केंद्रीय वत्त मंत्री ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपए प्रतिदिन की वृद्ध करने की घोषणा की थी, परंतु को वड-19 के कारण इस योजना के तहत रोजगार न उपलब्ध होने की स्थिति में मजदूरों को इस वृद्ध का लाभ नहीं मल पाएगा।<sup>11</sup> viii. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही को वड -19 के मामले न हों परंतु यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अस्थिरता पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह एक बड़ी समस्या बन सकती है।

वैश्विक महामारी को वड-19 के कारण भारत ही नहीं वश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के वकल्प को अपनाया गया। उस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमक वर्ग को पलायन जैसी गंभीर समस्या से दोहोना चार- पड़ा। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है। अमूमन हमने व पाने रोजगार , महानगरों से कस्बों और गाँवों में आशा की जीने जीवन बेहतर परंतु है देखा होते पलायन ओर की उस समय महानगरों से गाँवों की ओर हो रहा पलायन नि को स्थिति चंताजनक संदेह: रहा कर उत्पन्नथा। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माइग्रेशन )Reverse Migration है। दी संज्ञा की (

सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य 'महानगरों और शहरों से गाँव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है' । बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमकों का गाँव की ओर प्रवासन हुआ। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम-धंधा बंद होने की वजह से श्रमकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लये पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा। इस प्रवासी संकट को दूर करने के लये, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में मनरेगा के लये 40,000 करोड रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित कया।

अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमकों की भूमिका : i. भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमकों की आय, देश की जीडीपी की लगभग 6 प्रतिशत है। ii. ये श्रमक इसका एक तिहाई यानी जीडीपी का लगभग दो प्रतिशत घर भेजते हैं। मौजूदा जीडीपी के हिसाब से यह राश 4 लाख करोड रुपए है। iii. यह राश मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है। iv. वर्ष 1991 से 2011 के बीच प्रवासन में 2.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्ध दर्ज की गई थी, तो वहीं वर्ष 2001 से 2011 के बीच इसकी वार्षिक वृद्ध दर 4.5 प्रतिशत रही। इन आँकड़ों से पता चलता है क प्रवासन से श्रमकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ। v. श्रम गहन उद्योगों अर्थात ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटोपार्ट्स सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमक काम करते हैं। vi. जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्रमकों को बोनस, इन्क्रिमेंट, मोबाइल फोन रिचार्ज, आने-जाने का कराया और कैंटीन जैसी सुवधाएँ देकर कंपनियाँ इन्हें अपने साथ जोड़कर रखना चाहती हैं।

मनरेगा की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही हैं? i. वर्ष 2022 - 23के आँकड़ों के अनुसार मनरेगा के माध्यम से 11 करोड से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार मनरेगा ने को वड लॉकडाउन के समय हुए आय के नुकसान के 20 -80% तक हिस्से को भरने का काम कया था। अर्थात को वड के समय जब शहरों में रोजगार में संलग्न लोग जब गाँवों की तरफ लौटे तो मनरेगा ने उनके जीवकोपार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।ii . मनरेगा योजना के द्वारा महिला सशक्तिकरण को भी बल मला है। ग्रामीण महिलाओं के पास आय के स्रोत न होने के कारण कई बार वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाती और लगभग पूरी तरह से अपनी आवश्यकताओं के लये घर के पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। मनरेगा द्वारा उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।iii . मनरेगा लोगों को चरम गरीबी की स्थिति से निपटने में भी सहायता प्रदान कर रहा है क्योंकि इसमें वर्ष में न्यूनतम है प्रावधान का रोजगार दिन 100 का भत्ते बेरोजगारी में स्थिति की मलने न के रोजगार तथा सफलतापूर्वक ने मनरेगा प्रकार इस है। गया कया प्रावधान निकालकर बाहर से गरीबी चरम को लोगों में संख्या की लाखों

सम्मान एकनित जीवन जीने में सहायता प्रदान की है।<sup>iv</sup> मनरेगा में प्राप्त रोजगार के अवसरों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मनरेगा के माध्यम से इनका रोजगार के लिये शहरों की ओर होने वाला पलायन कम हुआ है।<sup>v</sup> मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में पर्याप्त सुधार देखने को मले हैं। इसके द्वारा तालाबों के निर्माण और संरक्षण द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा मला है के सड़कों ग्रामीण, विकास अन्य प्रकार इसी है। मली गति को संपर्कों से निर्माण इस भी में कार्योंसे अत्यंत सहायता प्राप्त हुई है।<sup>vi</sup> इस योजना के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत मजबूती प्राप्त हुई है क्योंकि इससे पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं और लोकतांत्रिक वकेंद्रीकरण को बढ़ावा मला है।

वर्ष 2022-i : उपलब्धियाँ की 23. 11.37 करोड़ परिवारों को रोजगार मला। ii. 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित कया गया है, जिसमें से: 56.19% महिलाओं के लिये थे, 19.75% अनुसूचित जाति के लिये थे, 17.47% अनुसूचित जनजाति के लिये थे।

मनरेगा के तहत नई पहलें i : 'अमृत सरोवर' : देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/जीर्णोद्धार करना। ये सतह और भूमगत दोनों स्तरों पर जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे। ii. 'जलदूत' ऐप: इसे 2-3 चयनित खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार कसी ग्राम पंचायत में जल स्तर का मापन करने के लिये सतंबर 2022 में लॉन्च कया गया था। iii. MGNREGS के लिये लोकपाल: MGNREGS के कार्यान्वयन से संबंधित व भन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिये फरवरी 2022 में 'लोकपाल ऐप' लॉन्च कया गया।

**मनरेगा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?**

भ्रष्टाचार: मनरेगा की प्रमुख चुनौतियों में भ्रष्टाचार को पहले स्थान पर रखा जा सकता है। कई राज्यों में लाखों की संख्या में फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड्स पाए गए। कई मामलों में देखा जाता है कि बड़ी मात्रा में फर्जी हाजिरी लगा दी जाती है। इससे

सरकार द्वारा आवंटित धन उन लोगों के पास न जाकर जो क पात्र हैं उन लोगों के पास चला जाता है जो क अपात्र हैं।

अपर्याप्त बजट आवंटन: वगत कई बार से मनरेगा के बजट में हो रही कमी को चंता के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अ धकांश अकुशल ग्रामीण गरीबों का जीवन इस योजना से सीधे प्रभावित होता है। हालाँकि इस वषय पर केंद्र सरकार का तर्क यह है कि मनरेगा एक माँग आधारित योजना है और जैसे जैसे-कम इस लिये जाएगा दिया बढा आवंटन ही वैसे आएगी माँग पड़ेगा। नहीं प्रभाव कोई इसपर का बजट

मजदूरी का समयसेन मलना: एक सर्वे के अनुसार लगभग 78 बार कई इससे हैं। पाते हो नहीं पर समय भुगतान प्रतिशत है देता दिखाई भाव भी का निराशा में श्रमकों प्रति के मनरेगा अपनी श्रमक कारण के मलने न पर समय भुगतान क्योंकि ही साथ पाते। कर नहीं पूर्ति की आवश्यकताओं तात्कालिक को दर की महंगाई देखते हुए वर्तमान मजदूरी दर को भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

इसे वर्तमान मानकों पर निर्धारित करने की आवश्यकता है। अ धकांश राज्य मनरेगा द्वारा निर्दिष्ट 15 दिनों के भीतर मजदूरी वतरण करने में वफल रहे हैं। इसके अलावा मजदूरी, लिये के देरी में भुगतान के श्रमकों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। इसने योजना को मांग-संचालित के बजाय आपूर्ति-आधारित कार्यक्रम में बदल दिया गया है और इसके कारण श्रमकों ने इसके तहत कार्य करने में रुचि खोनी शुरू कर दी है। वत्तमंत्रालय की एक स्वीकारोक्ति के साथ ही पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति अपर्याप्त धन का परिणाम है।

काम का समय से न पूरा हो पाना: मनरेगा की चौथी समस्या है काम का समय से न पूरा हो पाना तथा कार्यों की गुणवत्ता का बेहद खराब होना। इन्हें भी हम भ्रष्टाचार से ही जोड़कर देख सकते हैं। कई बार जल्दी समाप्त हो जाने वाले कामों को केवल इस लिये काफी लंबे समय तक धीमी गति से जारी रखा जाता है ताकि भुगतान अधिक मल सके जिसका अ धकांश हिस्सा फर्जी

जाँब कार्ड वालों के पास जाता है। साथ ही घटिया साम ग्र्यों के प्रयोग से निर्मित होनी वाली योजनाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और वे लंबे समय तक उपयोग के लायक नहीं रह पातीं।

पंचायतीराज संस्थान की अप्रभावी भूमिका : बेहद सी मत स्वायत्तता के साथ पंचायती राज संस्थान )PRI इस ( में सकने कर लागू से तरीके कुशल एवं प्रभावी को अधिनियम हैं। नहीं सक्षम

अधूरे कार्यों की बड़ी संख्या : मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी की स्थिति नज़र आई है और परियोजनाओं का निरीक्षण भी अनियमित रहा है। इसके साथ ही के मनरेगा , भी निर्माण संपत्ति और गुणवत्ता की कार्य संपन्न तहत है। समस्याजनक

जाँब कार्ड का निर्माण : फर्जी जाँब कार्डों की मौजूदगी फर्जी , कार्डों जाँब और होने गुम के प्रवृष्टियों , करने शामिल को नामों देखी भी समस्याएँ अन्य कई जैसी देरी में करने प्रवृष्टियाँ में हैं। गई

### निष्कर्ष:

भारत सहित विश्व के तमाम देश कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे थे और धीरे आर्थिक धीरे-रहे बढ़ाओ की संकटथे। इस आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौती को देखते हुए कई प्रकार के आर्थिक उपायों की घोषणा की गयी। भारत सरकार द्वारा घोषित उपाय दैनिक आधार पर चुनौतियों का सामना कर रहे मजदूरों की दृष्टि से स्वागत योग्य था।

महामारी ने वकेंद्रीकृत शासन के महत्व को पैदा किया है। ग्राम पंचायतों को कार्यों की मंजूरी के लिए पर्याप्त संसाधन, शक्ति और जिम्मेदारियाँ प्रदान करने, मांग पर काम प्रदान करने और भुगतान में कोई देरी नहोयह सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी भुगतान को अधिकृत करने की आवश्यकता है। रिवर्स माइग्रेशन के पैमाने ने मनरेगा रोजगार की मांग पैदा की है। ग्रामीण

गरीबों की आजी वका पर मनरेगा की पहुंच और प्रभाव दोनों को ध्यान में रखते हुए योजना का वस्तार किया जाना चाहिए।

कई तरह की चुनौतियों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण रोजगार , उन्मूलन गरीबी , , न्याय सामाजिक , कमी में पलायन , सशक्तिकरण महिला तरीके प्रभावी में क्षेत्रों जैसे निर्माण के ढाँचे आधारभूत ग्रामीण इस कह है की बात इस आवश्यकता अब है। गया क्या काम से प्रभावी को चुनौतियों व भन्न और भ्रष्टाचार व्याप्त में योजना तरीके से समाप्त किया जाए और इसके दायरे में ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य कारकों को भी शामिल किया जाए ताकि यह उन उद्देश्यों को और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाए जिनके लिये इस योजना की परिकल्पना की गई थी।

### सन्दर्भ सूची :

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजी वका मशन (2020-21). वार्षिक रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय।
2. नारायणन सुधा .एस , साहा और .सी ओल्डिजेस , )2022(. क्या वर्कफेयर काम करता है-को वड ?19 के दौरान भारत की रोजगार गारंटी. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट , 34)1(, 82-108.
3. सूद) र व अनुषा , 2021(. मोदी सरकार क्या मनरेगा के तहत मजदूरी के जाति पुनर्वचार पर भुगतान आधारित-करेगी. द प्रंट। यूआरएल : <https://theprint.in/india/governance/modi-govt-to-rethink-caste-based-payment-of-wages-under-mgnrega-says-aware-of-problems/747506/Sood>.
4. नंदी) देबमाल्या , 2021(. केंद्रीय बजट ग्रामीण रोजगार की समस्या का समाधान करने में वफल रहा। भारत विकास समीक्षा। यूआरएल : <https://idronline.org/the-union-budget-fails-to-address-the-problem-of-rural-employment/Nandy,Debmalya.2021>.
5. नायरशोभना , )2022(. ग्रामीण रोजगार योजना के सामाजिक ऑडिट में देरी। द हिंदू। यूआरएल: <https://www.thehindu.com/news/national/mahatma-gandhi-rural-employment-scheme-social-audits->



marred-by-delays/article65886687.ece?  
homepage=trueNair, Sobhana. 2022.

6. लोखंडे) गुंडीमेडा .एच और .एन , 2021(. मनरेगा :  
-को वड में भारत19 लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले  
प्रवासियों के लिए गारंटी शुदा शरण । द इंडियन  
इकोनॉमिक्स जर्नल, 69(3), 584-590. doi:  
<https://doi.org/10.1177/00194662211023848>
7. कुमार) .एम , 2020(. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन  
रेखा का गला घोटनाक :ो वड-19 लॉकडाउन के दौरान  
मनरेगा । एस एस ई आर मोनोग्राफ, 20 (2).
8. गुप्ता.एम , डी) . 2020(. मोदी सरकार को एम जी एन  
आर ई जी एस शहरी संस्करण के लिए 'कमी की धन'  
है। रही दिख. द प्रंट।, अक्टूबर। 6
9. घोष) .के , 2020(. FY 20-21 में अगस्त तक ग्रामीण  
कल्याण पर खर्च पछले - अधिक सबसे में वर्षों 5  
डेटा। सरकारी. मनी कंट्रोल। अक्टूबर 11
10. अग्रवाल) .वी , पैकरा और .ए , 2020(. मनरेगा मजदूरी  
इतनी कम क्यों है?. भारत के लिए वचार। 5 अक्टूबर ,  
2020.  
यूआरएल:<https://www.ideasforindia.in/topics/poverty-inequality/why-are-mnrega-wages-so-low.html>
11. आचार्य) .डी , 2020(. बिहार चुनाव की श्रमकों प्रवासी :  
थोड़ी नरेगा , लिए के मतदाताओं नाराज से वापसी  
है। करता प्रदान सहायता. यूआरएल:  
<https://30stades.com/2020/06/10/covid-19-lockdown-migrant-pressure-driving-innovations-in-mnrega-india/>